न्यायालय :–विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्लू.) ग्वालियर म.प्र.

अंकित रावत उर्फ विक्की पुत्र मुरारी लाल रावत उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम डिगवार थाना सबलगढ़ जिला मुरैना। वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा केन्द्रीय जेल ग्वालियर म.प्र.

———आवेदक/अभियुक्त

//विरूद्ध//

म. प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी जिला ग्वालियर म.प्र.

–अनावेदक/अभियोजन

Case No.	BA 1857/2026
Filling No.	B.A/13349/2026
CNR No.	MP0701-018085/2026
Date of Institution	25-07-2026

28.07.2026 आवेदक द्वारा श्री राजेश माहौर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्रीमती मिनी शर्मा।

आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी से अपराध क्रमांक 186/2026, धारा 64(1), 64(2)(एम), 64(2)(एफ), 351(3), 238 बी.एन.एस.एस. की केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से वांछित एवं सम्यक जानकारी प्रस्तुत की गयी।

उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण आदेश हेतु कुछ समय पश्चात प्रस्तुत हो।

(सिद्धि मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्लू)/
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
ग्वालियर म.प्र.

पुनश्चः–

उभय पक्ष पूर्ववत।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त अंकित रावत की ओर से प्रस्तुत नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस. का निराकरण किया जा रहा

है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव अपील क्रमांक–555/2023 रविश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्ड पीठ ग्वालियर के एम.सी.सी. नंबर 8227/2023 दीपक यादव विरूद्ध राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 **एवं जेबा खान विरूद्ध उ.प्र.राज्य** निर्णय दिनांक 11.02.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उपरोक्तानुसार जानकारी जमानत आदेश में उल्लेखित की जा रही है –

(ए) प्रकरण का विवरण		
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	**186/2026**
2.	एफआईआर रजिस्ट्रेशन दिनांक	**15.05.2026**
3	पुलिस आरक्षी केंद्र का नाम, जिला एवं राज्य	**पुरानी छावनी जिला ग्वालियर, (म.प्र.)**
4	अभियोजित धारा	**धारा 64(1), 64(2)(एम), 64(2)(एफ), 351(3), 238 बी.एन.एस.**
5	अभियोजित अपराध में विहित अधिकतम दंड	**आजीवन कारावास।**

(बी) अभिरक्षा एवं प्रक्रियात्मक अनुपालन		
1	गिरफतारी दिनांक	**14.06.2026**
2	अभिरक्षा में बिताई गई अवधि	**एक माह 14 दिन**

(सी) विचारण की स्थिति		
1	कार्यवाही की अवस्था (विवेचना/अभियोगपत्र/संज्ञान/आरोप विरचना/विचारण)	**अभियोग पत्र प्रस्तुत।**

2	अभियोगपत्र में दिये गये साक्षियों की संख्या	**27**
3	अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों की संख्या	–

(डी) पूर्व आपराधिक रिकार्ड				
क्र	थाना	अपराध क्र	धारा	स्थिति (लंबित / दोष मुक्त / दोषसिद्ध)
01	**ओमती जिला जबलपुर**	**330 / 2025**	**धारा 3(1)(डब्लू), 3(2)(2) एससी / एसटी एक्ट, धारा 67, 67(ए) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम**	–
02	**सबलगढ़ जिला मुरैना**	**02 / 2025**	**धारा 123, 351(3), 64, 87 बी.एन.एस.**	–

(इ) पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन		
1	न्यायालय का नाम	...
2	प्रकरण क्रमांक	–
3	प्रकरण का परिणाम	–
4.	प्रकरण क्रमांक	–
5.	प्रकरण का परिणाम	–

(एफ) बाध्यकारी कार्यवाहियां		
1	क्या कोई गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया।	**निरंक।**
2	क्या उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया।	**निरंक**

जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। अन्य कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो लंबित है न ही निरस्त हुआ है। आवेदक के विरूद्ध पुलिस 89थाना पुरानी छावनी द्वारा अपराध क्रमांक 186/2026, धारा 64(1), 64(2)(एम), 64(2)(एफ), 351(3), 238 बी.एन.एस. के अंतर्गत असत्य आधारों पर पंजीबद्ध कर आवेदक को न्यायिक अभिरखा में भेजा गया है। अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोग पत्र दिनांक 13.07.2026 को प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित है।कथित घटना अक्टूबर–दिसम्बर 2025 की बतायी गयी है, जब कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.05.2026 को दर्ज की गयी है। इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस कारण अभियोजन कहानी संदिग्ध है। सह आरोपी विवेक तोमर को माननीय उच्च न्यायलय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 31826/2026 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2026 के द्वारा जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक का कृत्य, उक्त सहआरोपी से भिन्न नहीं है। अतः समानता के आधार पर जमानत का लाभ दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

आवेदक को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में आवेदक समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन करने के लिये तत्पर एवं तैयार है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार कर आवेदक को उचित प्रतिभूति पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में अपने मित्र **बन्टी किरार** का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। पृथक से आवेदन में लेख है कि धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये, जमानत आवेदन का विरोध किया गया एवं पुलिस थाना पुरानी छावनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जमानत निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया तथा केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया। केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 15.05.2026 को अभियोक्त्री ने इस आशय की लिखित रिपोर्ट की कि उसके पति एक अपराध में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध थे, उसी दौरान उसके पति की जेल में आवेदक/अभियुक्त अंकित रावत से दोस्ती हो गयी थी। दिनांक 25.10.2025 को अंकित रावत उसके घर आया और उससे कहा कि पैसों की व्यवस्था हो तो वह उसके पति की जल्दी जमानत करा देगा। तब उसने 2 लाख रूपये अंकित रावत को दे दिये। उस दिन अंकित रावत उसके घर पर ही रूका और रात करीब 1:30 बजे अंकित रावत ने उसके कमरे में आकर जबरदस्ती बलात्कार किया। दिनांक 26.12.2025 को दिन में करीब 3 बजे उसका जीजा विवेक तोमर उसके घर आया और उससे बोला कि उसे यह पता चल गया है कि आवेदक/अभियुक्त अंकित रावत ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये हैं, तत्पश्चात उसके जीजा विवेक तोमर ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये और जाते समय उसने उससे कहा कि यदि किसी को यह बात बतायी तो वह उसे बदनाम कर देगा, इस कारण उसने किसी को उक्त बात नहीं बतायी। दिनांक 25.03.2026 को उसके पति जेल से घर वापस आये तो उसने दिनांक 13.05.2026 को घटना बतायी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 15.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त अंकित रावत एवं आरोपी विवेक तोमर के विरूद्ध धारा 64(1), 64(2)(एम), 64(2)(एफ) एवं 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर उन्मुक्त सहअभियुक्त विवेक तोमर से आवेदक

का कृत्य भिन्न नहीं है, अतः समानता के आधार पर जमानत स्वीकार की जाये। अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि अभियोजन के अनुसार अभियोक्त्री के पति की जेल में आवेदक/अभियुक्त से दोस्ती हो जाने के बाद वह दिनांक 25.10.2025 को अभियोक्त्री के घर आया और अभियोक्त्री के साथ उसी दिन रात में करीब 1:30 बजे बलात्कार किया। जबकि सह अभियुक्त विवेक तोमर पर आक्षेप है कि दिनांक 26.12.2025 को उसे यह पता चल जाने पर कि आवेदक/अभियुक्त अंकित रावत ने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाये हैं, सह अभियुक्त विवेक तोमर ने भी अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त मुख्य अभियुक्त है तथा आवेदक/अभियुक्त का कृत्य, उक्त सह अभियुक्त के समान नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त पर दो अपराध पंजीबद्ध होना बताये गये हैं।

परिणामस्वरूप, प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुये जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस., स्वीकार योग्य न होने से, **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जाये।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित अवधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

हस्ता0/–
(सिद्धि मिश्रा)
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्लू.)
ग्वालियर

SIDDHI MISHRA
Digitally signed by SIDDHI MISHRA
Date: 2026.07.28 18:42:00 +0530